



कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

-:: आदेश ::-

बैकुण्ठपुर, दिनांक 29/9/11.....

क्रमांक/ 259/ /जि.पं./शि.क.नि./2011-12:: छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र०/पंचा.-3719(2)/पंग्राविवि/22/2011/476 रायपुर, दिनांक 24.8.2011 के अनुक्रम में जिला पंचायत अन्तर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध जिला पंचायत द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग-01 की भर्ती हेतु जारी किये गये विज्ञापन क्रमांक/1073/जि.पं./शि.क.नि./2011-12 बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/6/2011 के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया का पालन करते हुये चयनित उम्मीदवारों को निम्नानुसार शिक्षाकर्मी वर्ग-01 के पद पर वेतनमान रूपये 5300-150-8300 पर अस्थायी रूप से निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है -

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	चयन का वर्ग	पता	पदांकित संस्था का नाम	विषय
1	2	3	4	5	6	7
01	सुश्री तुलसी साहू	श्री अक्तराम साहू	अनारक्षित	श्री मन्नालाल शर्मा विकास नगर 27 खोली बिलासपुर	शा०हाई स्कूल दुबछोला वि.ख. खड़गवां	गणित
02	कु० स्वाती जैन	स्व. सुनील कुमार जैन	अनारक्षित	मेनरोड हल्दीबाड़ी चिरमिरी, जिला-कोरिया	शा० हाई स्कूल पिपरिया वि.ख. मनेन्द्रगढ़	गणित
03	श्री विक्रम कुमार पटेल	श्री गणेश रामत पटेल	अ.पि.व.	c/o रोशनी मानिकपुरी प्रेविजन स्टोर टिकरापारा बिलासपुर जिला बिलासपुर	शा० हाई स्कूल पुसला वि.ख. सोनहत	गणित
04	श्री नारायण प्रसाद केंवट	श्री निखाद राम केंवट	अ.पि.व.	c/o श्री अजय कुमार गुप्ता वार्ड नं. 10 मस्जिद गली रामानुजगंज जिला सरगुजा	शा० हाई स्कूल घुटरा वि.ख. मनेन्द्रगढ़	गणित
05	सुश्री लता पटेल	श्री डी.पी. पटेल	अ.पि.व.	श्री डी.पी. पटेल, थाना प्रभारी चरचा कालरी, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ०ग०)	शा०उ०मा०वि० नगर वि.ख. बैकुण्ठपुर	गणित
06	श्री सुदीप कुमार शर्मा	श्री उमेश प्रसाद शर्मा	अनारक्षित	मु.+पो.-बरबसपुर बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ०ग०)	शा० हाई स्कूल चांटी वि.ख. भरतपुर	जीव विज्ञान
07	श्री धर्मेन्द्र कुमार साहू	श्री भण्डारी राम	अ.पि.व.	ग्राम-मानपुर, पोस्ट-महोरा, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया	शा० हाई स्कूल बिहारपुर वि.ख. मनेन्द्रगढ़	जीव विज्ञान

08	सुश्री हेमलता साहू	श्री भोगेश्वर प्रसाद साहू	अ.पि.व.	ग्रा.+पो.-रामानुजनगर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)	शा0उ0मा0वि0क0 पटना वि.ख. बैकुण्ठपुर	जीव विज्ञान
09	श्री रंजन एक्का	स्व. फ्रांसिस एक्का	अ.ज.जा.	श्री सिल्वेरियुस एक्का, म.नं.-बी-1/9 एस.ई. सी.एल. कालोनी कुरासिया चिरमरी जिला-कोरिया (छ0ग0)	शा0 हाई स्कूल तिलौली वि.ख. भरतपुर	जीव विज्ञान
10	श्री चन्द्रशेखर करियारे	श्री फूलसाय करियारे	अ.जा.	ग्रा.+पो.-अमोदा, जिला-जांजगीरचांपा (छत्तीसगढ़)	शा0 हाई स्कूल डोम्हरा वि.ख. भरतपुर	जीव विज्ञान
11	श्री विपिन लाल गुप्ता	श्री जयराम गुप्ता	अ.पि.व.	मुकाम गोतभा पोस्ट कोतासूरा जिला रायगढ़	शा0हाई स्कूल बड़गांवकला वि.ख. भरतपुर	संस्कृत
12	कु0 सरिता भोय	श्री भवानी शंकर भोय	अ.पि.व.	मु.+पो.-पड़िगांव पुसौर, जिला-रायगढ़	शा0 हाई स्कूल डुमरिया वि.ख. बैकुण्ठपुर	संस्कृत
13	श्री उमेश कुमार मार्को	श्री राजेन्द्र प्रसाद मार्को	अ.ज.जा.	ग्रा.-मनौरा, पो.-मरवाही, जिला-बिलासपुर	शा0 हाई स्कूल फुनगा वि.ख. खड़गावां	संस्कृत
14	श्री उमेश्वर सिंह	श्री लाडगो राम	अ.ज.जा.	ग्रा.-पोड़ीकला, पो.-दुर्गापुर, शंकरगढ़, जिला-सरगुजा	शा0 हाई स्कूल चरवाही वि.ख. मनेन्द्रगढ़	संस्कृत
15	श्री अजय कुमार	श्री रामजन राम	अ.ज.जा.	श्री कुलदीप एक्का किराना स्टोर नवापारा फुन्दुरडिहारी अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	शा0 हाई स्कूल खमरौध वि.ख. भरतपुर	संस्कृत
16	सुश्री रागिनी दुबे	श्री अनिल कुमार दुबे	अनारक्षित	पुलिस थाना बड़ा बाजार चिरमिरी, जिला-कोरिया	शा0 हाई स्कूल बंजी वि.ख. मनेन्द्रगढ़	अंग्रेजी
17	सुश्री संध्या सिंह	श्री उमेश सिंह	अनारक्षित	श्याम बरनई परियोजना मण्डल जिला सरगुजा (छ.ग.)	शा0 हाई स्कूल पाराडोल वि.ख. मनेन्द्रगढ़	अंग्रेजी
18	श्री गोपाल प्रसाद राठौर	श्री बट्टू लाल राठौर	अ.पि.व.	मुकाम पुटपुरा पोस्ट खोखरा तहसील जांजगर चांपा छ0ग0	शा0 हाई स्कूल बड़गांवकला वि.ख. भरतपुर	अंग्रेजी
19	कु0 ज्योतिसिना कुजूर	श्री प्रेमसुख कुजूर	अ.ज.जा.	सुभाष नगर क्वा.नं.-845 चरचाकालरी, जिला-कोरिया	शा0 हाई स्कूल मुरमा वि.ख. बैकुण्ठपुर	अंग्रेजी
20	कु0 मनोरमा कुजूर	श्री प्रेमसुख कुजूर	अ.ज.जा.	सुभाष नगर क्वा.नं.-845 चरचाकालरी, जिला-कोरिया	शा0 हाई स्कूल कटकोना वि.ख. बैकुण्ठपुर	अंग्रेजी

नियुक्ति की शर्तें-

1. विभाग द्वारा एक माह का विभागीय प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त नियुक्ति दो वर्ष के परिवीक्षा अवधि पर रहेगी। यदि परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो अभिमान्य वर्ष तक परिवीक्षा अवधि में बने रहने के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा। इसके पश्चात् पुनः बढ़ायी गयी अवधि में उसके कार्य का आंकलन किया जायेगा। यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। परंतु किसी भी दशा में परिवीक्षा अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
3. आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जावेगा, कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर आपकी सेवा समाप्त कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
4. शिक्षा कर्मियों को परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम वेतन एवं उस पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता देय होगा।
5. शिक्षा कर्मियों को दिनांक 10/10/2011 तक पदांकित शाला में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर संस्था प्रमुख से कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराना होगा। निर्धारित तिथि पश्चात् कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
6. शिक्षा कर्मियों यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।
7. शिक्षा कर्मियों की सेवायें या तो शिक्षाकर्मियों द्वारा, नियुक्त प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शिक्षाकर्मियों को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास के वेतन के भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
8. शिक्षा कर्मियों को कार्य करने के लिए 15 दिवस के भीतर जिला चिकित्सालय से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्तानुसार नियुक्त शिक्षा कर्मियों की सेवायें संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा संतोषप्रद सत्यापन पर ही मान्य होंगे।
10. शिक्षा कर्मियों की सेवा शर्तों से भिन्न जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तें समान रूप से लागू होंगे।
11. उपस्थिति देते समय अनुविभागीय अधिकारी (रा) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उपस्थिति नहीं ली जावेगी। तत् पश्चात् आदिम जाति अनुसंधान संस्थान रायपुर/अम्बिकापुर से जाति सत्यापन प्रमाण पत्र उपस्थिति दिनांक से छः माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मियों (भरती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2007 के तहत समस्त सेवा शर्तें समान रूप से लागू होंगे।
13. उपस्थिति प्रतिवेदन समस्त प्रमाण पत्रों के साथ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सत्यापन पश्चात् पदस्थ विद्यालय में उपस्थिति दें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, कोरिया

(4)

71

पू०क्र० / २९९२ / जि.पं. / शि.क.नि. / २०११-१२
प्रतिलिपि-

बैकुण्ठपुर, दिनांक २९ / ९ / २०११

1. अति. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मिशन संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. मान. अध्यक्ष, जिला पंचायत कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
10. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
11. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर/सोनहत/ खड़गवां/ मनेन्द्रगढ़/भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बैकुण्ठपुर/सोनहत/खड़गवां/ मनेन्द्रगढ़/ भरतपुर को सूचनार्थ एवं कृपया समस्त प्रमाण पत्रों की पुनः जाँच उपरान्त ही संतुष्ट होने पर एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण करावें एवं संबंधित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। अभ्यर्थियों के शाला में कार्यभार ग्रहण पश्चात् उपस्थिति पत्रक इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
14. विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, बैकुण्ठपुर/सोनहत/खड़गवां/ मनेन्द्रगढ़/भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. प्राचार्य/प्रधान पाठक..... जिला कोरिया को अग्रेषित कर लेख है कि कार्यभार ग्रहण की सूचना दिनांक 10/10/2011 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. श्री/श्रीमती/कु०..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आप संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपने प्रमाण पत्र की जाँच उपरान्त ही विद्यालय में उपस्थिति दें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया